



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 एवं एनबीडब्ल्यू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 16.03.2023

दिनांक 15/16 -03-2023 को रात्रि थाना चिनहट 01, पीजीआई 03, कैसरबाग 01, मड़ियांव 01, सैरपुर 01, विकासनगर 02 एवं एनबीडब्ल्यू में थाना इटौंजा 06 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 09 एवं एनबीडब्ल्यू में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना ठाकुरगंज:- दिनांक 16-03-2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री दरबार सिंह निवासी मोहनभोग चौराहे के पास किराए का मकान राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि उसके साले संदीप कनौजिया उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 हरिप्रसाद कनौजिया निवासी मूलपता 389/28 पुराना चबूतरा थाना सआदतगंज लखनऊ जो अनिल कुमार कनौजिया निकट भरत एकेडमी पुराना तोपखाना थाना ठाकुरगंज लखनऊ के घर में रहता था ने फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री शैलेन्द्र कुमार मो0नं0 8218894644 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा कमरे में लगे रोशनदान से कपड़े की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक धोबी का काम करता था एवं अविवाहित था।

थाना मड़ियांव- दिनांक 16-03-2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 जगदेव प्रसाद निवासी 614/पी-01 डी प्रीतिनगर डुडौली रोड़ खुर्द थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि वादी के पिता जी का देहान्त दिनांक 07-03-2023 को हो गया था वादी घर पर ताला लगाकर सपरिवार पैतृक गांव गया था। वादी जब अपने घर वापिस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान विखरा पड़ा है वादी के घर का सारा सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु0अ0सं0 101/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पारा- दिनांक 16.03.2023 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी धीरज कश्यप पुत्र श्री राम अजोर कश्यप निवासी-आदर्श विहारए बुद्धेश्वर मन्दिर सिद्धार्थ पब्लिक वाली गली थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 16.03.2023 को वादी सुबह में पेपर देने गौसगंज संडीला हरदोई गया हुआ था। घर पर वादी के मम्मी श्रीमती सोहबता कश्यप व पापा राम अजोर कश्यप अकेले थे। सुबह करीब 09.30 बजे के करीब वादी के मम्मी व पापा में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें वादी को पापा राम अजोर कश्यप ने जान से मारने की नीयत से वादी के मम्मी के ऊपर बांके से हमला कर दिया। जिससे वादी के मम्मी श्रीमती सोहबता कश्यप उम्र करीब 45 वर्ष को गम्भीर चोटें आयी हैं। सूचना मिलते ही वादी तुरन्त अपनी मम्मी के पास आया। वादी के मम्मी का इलाज मेडिकल कालेज ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 74/2023 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।